कार्यवाही विवरण एम्पावर्ड स्टेण्डिग कमेटी बैठक दिनांक 18.01.2016

शासन सचिव, जल संसाधन विभाग, राजस्थान जयपुर की अध्यक्षता में दिनांक 18.01.2015 को सायः 4.00 बजे एम्पावर्ड स्टेंन्डिंग कमेटी की बैठक में M/s Sadu Ram Kasana, Dausa द्वारा अनुबंध संख्या 01/2013-14 के अन्तर्गत संवेदक फर्म को आंवटित कार्य " Balance work of rehabilitation of Irrigation Project under RMIP Chandrana Bund" के क्लॉज 23 के तहत प्रस्तुत क्लैम्स पर सुनवाई कर निर्णय लिये जाने हेतु बैठक आयोजित की गई। इस बैठक मे निम्न अधिकारियो ने भाग लिया :–

1. श्री हरीश वाधवानी, वरिष्ठ सयुक्त विधि परामर्शी प्रतिनिधि, प्रमुख शासन सचिव, विधि विभाग, राजस्थान जयपुर।
2. श्री जाकिर हुसैन, संयुक्त शासन सचिव, प्रतिनिधि प्रमुख शासन सचिव (वित्त विभाग)।
3. श्री अनिल शर्मा, अतिरिक्त सचिव एवं मुख्य अभियन्ता जल संसाधन राजस्थान जयपुर।
4. श्री रवि सौलंकी, अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता जल संसाधन सम्भांग, जयपुर।

अधिशाषी अभियन्ता, जल ससांधन खण्ड, दौसा प्रतिपक्ष की ओर से उपस्थित हुये तथा क्लेमेण्ट की ओर से संवेदक श्री साधु राम कसाना स्वंय उपस्थित हुये।

अधिशाषी अभियन्ता, जल ससांधन खण्ड, दौसा द्वारा कमेटी को अवगत कराया गया कि उक्त कार्य सम्पादन हेतु खण्ड कार्यालय के पत्रांक 1797 दिनांक 10.04.2013 द्वारा राशि रू. 70,93,998/– कार्यादेश जारी कर, संवेदक एवं विभाग के मध्य अनुबन्ध सख्यां 01 वर्ष 2013–14 निष्पादित किया गया था। कार्य के अनुबन्ध के अनुसार उक्त कार्य प्रारम्भ एवं समाप्त किये जाने की तिथि कमशः 20.04.2013 एवं 19.10.2013 नियत थी। संवेदक द्वारा दिनांक 20.04.2013 को कार्य प्रारम्भ किया गया था। संवेदक द्वारा कार्य पूर्ण किये जाने की निर्धारित तिथि तक राशि रू. 28,87,894/– एवं दिनांक 25.02.2014 तक कुल राशि रू. 55,62,775/– का कार्य सम्पादित किया जाकर कार्य को अपूर्ण छोडा गया था। विभाग द्वारा संवेदक को कार्य की प्रगति बढाये जाने एंव कार्य पूर्ण किये जाने हेतु बार–बार नोटिस जारी किये गये थे परन्तु संवेदक द्वारा कार्य को अपूर्ण छोडा जाकर बन्द कर दिया गया।

कार्य के समयावधि विस्तार प्रकरण में सक्षम स्तर से निर्णय लिया जाकर, कार्य समयावधि विस्तार प्रकरण स्वीकृत किया जाकर सवेदक के विरूद्व राशि रू. 7,09,400/– की क्षतिपूर्ति आरोपित की गई थी।

संवेदक श्री साधु राम कसाना ने कमेटी को अवगत कराया कि कार्य सम्पादन के दौरान विभागीय स्तर पर हुये विलम्ब एवं बजरी की अनुपलब्ता के कारण कार्य सम्पादित किये जाने में विलम्ब हुआ था जिस हेतु संवेदक फर्म उत्तरदायी नही थी। अतः विभाग द्वारा समयावधि विस्तार प्रकरण स्वीकृत करते हुये आरोपित की गई क्षतिपूर्ति का भुगतान किया जावे।

कमेटी द्वारा दोनो पक्षो प्रस्तुत तथ्यों एवं अभिलेख का अवलोकन किया तथा दोनो पक्षो को सुना जाकर क्लैम वाईज निम्नानुसार निर्णय पारित किया गया।

CLAIM NO. 1 शेष कार्य स्ट्रेन्थिनिंग आफ इरिगेशन प्रोजेक्ट अण्डर राजामिप, चांदराना बांध अनुबंध सख्यां 01 वर्ष 2013–14 में समय अवधि प्रकरण पर लगायी गई शास्ति राशि रू. 7,09,400/– के सम्बन्ध मे :–

अधिशाषी अभियन्ता, जल ससांधन खण्ड, दौसा द्वारा कमेटी को अवगत कराया गया कि सवेदक का कथन स्वीकार्य नही है। अनुबंध के प्रावधानो के अनुसार बजरी की व्यवस्था संवेदक को करनी थी। संवेदक को कार्य की प्रगति बढाने हेतु समय–समय पर नोटिस जारी किये गये थे। जिससे यह प्रमाणित होता है कि कार्य धीमी गति से सम्पादित किये जाने के कारण पूर्ण नही हुआ। इसलिये संवेदक द्वारा प्रस्तुत क्लैम निरस्त किये जाने योग्य है।

कमेटी का निर्णय :–

प्रस्तुत तथ्यों एंव अभिलेख के आधार पर यह क्लेम आधारहीन पाया गया। अतः कमेटी द्वारा इस क्लेम को निरस्त किये जाने का निर्णय लिया गया।

CLAIM NO. 2 शेष कार्य नही करवाये जाने से लेबर व मशीनरी आईडल से हुई हानि के सम्बन्ध में :–

अधिशाषी अभियन्ता, जल ससांधन खण्ड, दौसा द्वारा कमेटी को अवगत कराया गया कि अनुबंध के प्रावधानानुसार नही किये गये कार्य पर किसी प्रकार का क्लैम देय नही होने के कारण क्लैम निरस्त किये जाने योग्य है।

कमेटी का निर्णय :–

प्रस्तुत तथ्यों एंव अभिलेख के आधार पर यह क्लेम आधारहीन पाया गया। अतः कमेटी द्वारा इस क्लेम को निरस्त किये जाने का निर्णय लिया गया।

(रवि सौलंकी)	(अनिल शर्मा)	(जाकिर हुसैन)	(श्री हरीश वाधवानी)	(अजिताभ शर्मा)
अति. मुख्य अभियन्ता,	अति. सचिव एवं	संयुक्त शासन सचिव	वरिष्ठ संयुक्त विधि	शासन सचिव
जल संसाधन सम्भाग,	मुख्य अभियन्ता,	प्रतिनिधि वित्त विभाग	परामर्शी	जल संसाधन विभाग
जयपुर	जल संसाधन राज, जयपुर		प्रतिनिधि विधि विभाग	राजस्थान, जयपुर।